तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता... अहकाम जो... हुक्म की ... में जारी हु...
13/11/2025	वकील उभयपक्ष हाजिर। बहस मा० प० सुनी गई। वास्ते निर्णय दिनांक 18/11/2025 को पेश हो।	
18/11/2025	वकील उभयपक्ष हाजिर। बहस पूर्व में सुनी गई। संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रा० प० वर्णित आराजियात प्रार्थी व कुल सह के प्रतिपक्षी संख्या 5 से 7 की संयुक्त खातेदारी की आराजियात है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 उक्त आराजियात में जबरन प्रवेश कर खुर्द-बुर्द करने पर आमादा है व कब्जे करने की कोशिश करते है। व हरे वृक्ष काटने पर आमादा है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया व की गई बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण द्वारा जबरन कब्जे करने संबंधित कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं किये है जिससे कि सिद्ध हो कि अप्रार्थीगण कब्जे करने पर आमादा है। सबल प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा सन्तुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है। अतः प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर यह निर्णय किया जाता है कि मौजा रानतली प० ह० दरी की आ० नं० 1577, 1658, 1707/1615 कुल किता 03 कुल रकबा 1.23 हेक्टर में बिना सक्षम स्वीकृति के हरे वृक्ष नहीं काटे। उक्त आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पत्रावली मैनुअल/कम्प्यूटर रजिस्टर नम्बर से कम हो। आदेश सुनाया गया।	

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौडगढ